



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8033

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 242 सन् 2026

सुनील कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	इरफान अहमद मलिक
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय लाल को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय लाल द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उनका कहना है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें सहायक सब इंस्पेक्टर क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 05.10.2019 को सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति के लगभग छह वर्ष बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के निर्देशानुसार, वर्ष 2025 में एक प्रारंभिक जांच की गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और जिला बरेली के क्षेत्राधिकारी द्वारा 18.04.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद 13 मई, 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि 6,99,279/- रुपये की वसूली क्यों न की जाए। याचिकाकर्ता ने उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा 16.07.2025 को 6,99,279/- रुपये की वसूली के लिए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

4. इसी बात पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि चुनौती दिए गए आदेश को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि वसूली उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ अधिकारी (दंड और अपील) नियम, 1991 के नियम 4 के तहत निर्धारित दंडों में से एक है, जो प्रकृति में मामूली है। उनका तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद, उक्त वसूली नहीं की जा सकती थी।

6. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने चाहे जो भी कदाचार किया हो, राशि की वसूली की जा सकती है और उनके अनुसार, आक्षेपित आदेश पारित करते समय वसूली के स्रोत और शक्ति तथा प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर हैं, जो 05.10.2019 को सेवानिवृत्त हुए थे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 18.04.2025 को प्रस्तुत की गई, कारण बताओ नोटिस 13.05.2025 को जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दिया और आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

9. आक्षेपित आदेश को सरसरी तौर पर देखने से ही स्पष्ट होता है कि उक्त कार्रवाई याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के 6 वर्ष बाद की गई है। आक्षेपित आदेश में सेवानिवृत्ति के बाद वसूली के स्रोत, अधिकार और प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, इसलिए आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ए) प्रत्यर्थी संख्या 2, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा दिनांक 16.07.2025 को पारित आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

(बी) प्रकरण को वापस भेजा जाता है ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित किया जा सके।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13 जनवरी 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)